न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प बयाना

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0 ए0 एस0)

प्रा0पत्र संख्या :– 18/2017 (बाजदायरी)
आरसीएमएस संख्या :–2017/00282

उनवान

1. दरब
2. दर्याव } पुत्रान किशन
3. वीरो
4. उम्मेद पुत्र धमे
5. सुमरन
6. मुकेश } पुत्रान उम्मेद
7. रूस्तम
8. जोर

} कौम गूजर निवासी ईटखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

9. फिरंगी पुत्र नवल जाति गूजर निवासी ईटखेडा तहसील बयाना(मृतक)
   - 9/1. भवरी पत्नी फिरंगी जाति गूजर निवासी ईटखेडा तहसील बयाना
   - 9/2. गोपाल पुत्र फिरंगी जाति गूजर निवासी ईटखेडा तहसील बयाना
   - 9/3. लखन पुत्र फिरंगी जाति गूजर निवासी ईटखेडा तहसील बयाना
   - 9/4. रामा पुत्री स्व0 फिरंगी पत्नी हेमा जाति गूजर निवासी खाना का तहसील हिण्डौन जिला करौली।
   - 9/5. बोरा पुत्र फिरंगी जाति गूजर निवासी ईटखेडा तहसील बयाना।
   - 9/6. सुनीता पुत्री फिरंगी पत्नी शेर सिंह जाति गूजर निवासी खाना का तहसील हिण्डौन जिला करौली।
   - 9/7. अमृत पुत्र फिरंगी जाति गूजर निवासी ईटखेडा तहसील बयाना।

10. रामरूप पुत्र नवल
11. रामस्वरूप पुत्र नवल
12. लखन पुत्र फिरंगी
13. वीर सिंह पुत्र फिरंगी
14. इमरत पुत्र फिरंगी
15. गोविन्द पुत्र रामस्वरूप

} जाति गूजरान निवासी ईटखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र रज्जू
2. हरविलास पुत्र जगन } कौम गूजर निवासी ईटखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
3. लक्ष्मण पुत्र जगन

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 एवं धारा 151 जा0दी0, बाबत् पुनः नम्बर पर लेने अपील संख्या 39/20146 उनवानी दरब सिंह बनाम रामेश्वर।

अभिभाषकगण :–

1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री नारायण सिंह उपस्थित।
2. अधिवक्ता अप्रार्थी श्री बृजमोहन अनुपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक :– 26.07.2018

1. यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 20.04.2017 के विरूद्ध पेश किया गया है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 20.04.2017 से अपील संख्या 39/2014 उनवानी दरब सिंह बनाम रामेश्वर, बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद अपीलाण्ट अथवा अभिभाषक अपीलाण्ट के उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की गई थी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रार्थी ने यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा की पत्रावली को शामिल मिसल किया गया एवं अप्रार्थी को तलब किया गया। वक्त बहस अप्रार्थी एंव उनके अभिभाषक को बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद कोई उपस्थित नहीं आये। अतः बहस प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना– पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त उनवानी अपील में तारीख पेशियों पर पैरवी करने के लिये अपीलाण्ट लखन को नियुक्त कर रखा था परन्तु अपीलाण्ट लखन अपने ठेकेदारी कार्य के लिए कभी कभी गुजरात चला जाता है इसलिये उक्त दिनांक को गुजरात चले जाने के कारण पैरवी हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में निरस्त फरमा दी गयी। उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 21.07.2017 को वकील साहब द्वारा एक रजिस्ट्री पोस्ट जारी कराने पर प्राप्त हुई, तब अपीलाण्ट ने तुरन्त, बिना देरी के वाजवा नम्बर पर लिये जाने का प्रार्थना प्रस्तुत किया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर, अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस प्रार्थी पर मनन किया। हम पाते हैं कि मूल अपील पत्रावली दिनांक 17.03.2011 से अन्तिम बहस हेतु निर्धारित थी। अभिभाषक अपीलाण्ट को बहस हेतु दिनांक 17.03.2011 से कई अवसर दिये जाने के बाबजूद बहस नहीं सुनायी गयी, तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 29.09.2011 को अपीलाण्ट/अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हुई। मूल अपील पत्रावली के अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज होने पर प्रार्थी/अपीलाण्ट के अभिभाषक ने अपने शपथ–पत्र से समर्थित आदेश 41 नियम 19 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.11.2011 को इन कथनो के साथ पेश किया गया है कि अपील मुख्यालय भरतपुर पर पेश होकर, अग्रिम पेशी मुख्यालय भरतपुर में ही नियत की गयी थी। उक्त दिनांक को प्रार्थी/अपीलाण्ट चिकनगुनिया बुखार से पीडित था एवं उनके अभिभाषक श्री नारायन सिंह भी बयाना की अदालतो में व्यस्त होने के कारण भरतपुर के न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। इसलिये उक्त उनवानी अपील अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज कर दी गयी। उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई दिनांक 20.11.2014 से स्वीकार करते हुए, मूल अपील नम्बर पर ली जाकर अग्रिम पेशी दिनांक 23.12.2014 वास्ते बहस नियत की गयी। परन्तु अभिभाषक अपीलाण्ट ने दिनांक 23.12.2014 से दिनांक 24.03.2017 तक कुल 25 अवसर दिये जाने के बाबजूद बहस नही सुनायी गयी तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 20.04.2017 को पुनः अपीलाण्ट/अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

के कारण अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हुई। हमने मनन किया। अपील पूर्व में दिनांक 29.09.2011 को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो गयी थी जो दिनांक 20.11.2014 से पुनः नम्बर पर ली गई जो प्रार्थी/अपीलाण्ट की लापरवाही से पुनः दिनांक 20.04.2017 अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हुई। हम पाते हैं कि प्रार्थी/अपीलाण्ट अपनी अपील के संचालन में लापरवाह व उदासीन रहा है। अपनी स्वयं की लापरवाही के रहते अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। किन्तु न्यायहित में, प्रार्थी को वंचित कर देना भी वांछनीय नहीं है। हम प्रार्थना पत्र को कोस्ट पर स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा 500/– रूपये, अक्षरे पॉच सौ रूपये कोस्ट विधिक सहायता समिति में जमा कराने की शर्त पर स्वीकार किया जाता है। कोस्ट जमा होने पर मूल अपील पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प बयाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official